B-4/446/X-10

संख्या–1316/77–1–2010–40(टी)/2004

प्रेषक,

मारकण्डेय सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक: 29 अप्रैल, 2010

विषयः उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0 की सदस्य पांच सहकारी कताई मिलों – अमरोहा, बहेड़ी, मऊ आइमा, बहादुरगंज, फतेहपुर में डाउन साईजिंग की प्रक्रिया अपनाते हुए ऐसे कार्मिक, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक हों, को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0, कानपुर के पत्र संख्या 565, दिनांक 4.3.2010 में प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में विचारोपरान्त श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0 की सदस्य पांच सहकारी कताई मिलों – अमरोहा, बहेड़ी, मऊ आइमा, बहादुरगंज, फतेहपुर में डाउन साईजिंग की प्रक्रिया अपनाते हुए ऐसे कार्मिक जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक हों, को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के अन्तर्गत लाभ दिए जाने हेतु रू. 75,00,00,000/– (रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किए जाने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर वीआरएस हेतु प्राप्त एवं स्वीकृत परिपक्व आवेदनों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के संगत शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को देय धनराशि का आगणन करते हुये व्यय के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाएगा।
2. आहरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त व्यय के लिए आवश्यक राशि का आहरण उपर्युक्त प्रस्तर–1 में की गयी व्यवस्थानुसार किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन में किया जाएगा, जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गयी है।
4. उपर्युक्त ऋण का प्रतिदान उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कानपुर की सदस्य कताई मिलों अमरोहा, बहेड़ी, मऊ आइमा, बहादुरगंज, फतेहपुर की परिसम्पत्तियों के निस्तारण/विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जाएगा।
5. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 कानपुर की अमरोहा, बहेड़ी, मऊ आइमा, बहादुरगंज, फतेहपुर स्थित कताई मिलों में कार्यरत ऐसे कार्मिकों, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक हों, वांछित धनराशि उपलब्ध होने की तिथि से तीन माह बाद अथवा जैसा शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा, उस तिथि को कट आफ डेट निश्चित करते हुए तत्समय से वीआरएस का लाभ प्रदान किया जाएगा।
6. उक्त धनराशि का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग के वीआरएस से संबंधित शासनादेशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को शासनादेश के मार्गनिर्देशनों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए कार्मिकों को शासन की स्वीकृति के उपरान्त मिल के महाप्रबन्धकों द्वारा नोटिस देने की तिथि से वीआरएस का विकल्प देने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा।
7. वीआरएस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो पद रिक्त होंगे, उस पर भविष्य में कभी भी भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी।

क्रमशः ....."2"

8. इस धनराशि का तभी आहरण होगा, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि इसका त्वरित उपयोग सम्भव है। यदि इसके त्वरित उपयोग की आवश्यकता न हो, तो उस दशा में यह धनराशि उ0प्र0 सहकारी कताई मिल्स संघ लि0 के कोषागार में खुले पीएलए में रखी जाएगी।

2– उक्त ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक अंकित करते हुए भेजी जायेः–

(क)–कोषागार का नाम।
(ख)–चालान संख्या व दिनांक।
(ग)–जमा धनराशि किश्त एवं ब्याज।
(घ)–लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त/ब्याज।
(च)–शासनादेश संख्या तथा एसएलआर का सन्दर्भ।
(छ)–पिछले जमा का संदर्भ

(1) निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग आहरण के प्रत्येक वर्ष लेखा का मिलान अपने लेखों से अवश्य करें।
(2) भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित किया जाये कि ऋणी संस्थान ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक वर्ष अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और संघ महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दें।

3– इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्गत/निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन संघ में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो उक्त अधिकारीगण का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि इनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये।

4– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि 75,00,00,000/– (रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"6075–विविध–सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज–आयोजनानेत्तर–800–अन्य कर्ज–03–रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु कर्ज–30–निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–बी–4–417/दस–2010, दिनांक 29.4.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–1316 (1)/77–1–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0, कानपुर।
3. कोषाधिकारी, कानपुर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
5. नियोजन अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/4, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0, कानपुर।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)
उप सचिव